

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त 2019—भाद्र 2, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14002-231-इकीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१९

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१९.

[दिनांक २२ अगस्त, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ अगस्त, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

२. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ९ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १८ में, उपधारा (१) में, शब्द "बीस रुपए और पचास रुपए" के स्थान पर, शब्द "चालीस रुपए और सौ रुपए" स्थापित किए जाएं.

३. मूल अधिनियम की धारा १९ में,—

- (एक) उपधारा (१) में, शब्द "बीस रुपए" के स्थान पर, शब्द "चालीस रुपए" स्थापित किए जाएं।
- (दो) उपधारा (२) में, शब्द "पचास रुपए" के स्थान पर, शब्द "सौ रुपए" स्थापित किए जाएं।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14002-231-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक १७ सन् २०१९) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 17 OF 2019

THE MADHYA PRADESH ADHIVAKTA KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th August, 2019.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

**Amendment of
Section 18.**

2. In Section 18 of the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982), (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), for the words "twenty rupees and fifty rupees", the words "forty rupees and hundred rupees" shall be substituted.

**Amendment of
Section 19.**

3. In Section 19 of the principal Act,—

- (i) in sub-section (1), for the words "twenty rupees", the words "forty rupees" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2), for the words "fifty rupees", the words "hundred rupees" shall be substituted;